

कृषि अधिनियम में सुधार के खिलाफ रखा बंद, सांकेतिक हड्डताल कर सौंपा ज्ञापन

देवरी (गोंदिया)। वर्ष 2018 के महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. 64 के तहत महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पनन (विकास विनियम) अधिनियम 1963 में प्रस्तावित किए गए सुधारों के विरोध में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर से सोमवार, 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड्डताल की गई। इस संबंध में एक निवेदन जिलाधिकारी गोंदिया के माध्यम से पनन संचालक पुणे को निवेदन भेजा गया। निवेदन में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 7 फरवरी 2024 को लिए गए नियंत्रण के अनुसार वर्ष 2018 के महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. 64 के अनुसार महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पनन (विकास विनियम) अधिनियम 1963 में प्रस्तावित किए गए सुधारों के परिपेक्ष में



राज्य के किसान, व्यापारी एवं कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से 15 दिनों में सूचना एवं आपत्ति मंगवाए गए हैं। इस विधेयक में प्रस्तावित किए गए सुधारों के कारण किसान, व्यापारी, आड़ित्या, हमाल एवं भाल तीलने वालों के साथ ही बाजार समिति के अस्तित्व पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह भी पढ़े - सवा लाख पंजीकृत किसानों में केवल 76,532 किसानों ने ही केंद्रों पर आई मौजूद थे।

घर में सेंध लगाने वाला गिरफ्तार

» 2 आरोपियों की तलाश जारी, अपराध शाखा ने की कार्रवाई



हवलदार इंद्रजीत विसेन, भुवनलाल देशमुख, चित्ररंजन कोडापे, सिपाही संतोष केदार, घनश्याम कुम्हलवार रावणवाडी, गोंदिया शहर परिसर में चोरी, सेंध, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही थी।

आरोपी ने कबूला अपराध

गोंदिया-एक माह पहले चक्काण चौक, श्रीनगर में एक घर में चोरी करने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रथम उर्फ दद्द भोयर ने चोरी की है। आरोपी को उसके घर से हिरासत में लेकर उसकी गहनता से पृछाताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। वहीं इस घटना को उसने श्रीनगर निवासी मनीष गजभिये (25), सिंगलटोली निवासी जय उर्फ दद्द भालाधरे (23) बताया गया है। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के निर्देश व स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे के आदेश पर पुलिस उपनिरीक्षक महेश विस्ते,

ध्यान नहीं दे रहा विभाग : किराए के मकान में कर्मचारी
»» चुलबंध सिंचाई कर्मचारियों की झारात जर्जर अवस्था में

बुलंद गोंदिया-सड़क अर्जुनी तहसील में चुलबंध जलाशय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए 1974 में मुरदोली में एक झारात बनाई गई थी। लोकिन इसके बाद इस झारात के रखरखाव और मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते इस कर्मचारी झारात का बुरा हाल है, पिछले दस-बारह साल से इस झारात में कोई भी कर्मचारी नहीं रह रहा है, इसके बाद एवं रखरखाव और मरम्मत की अनदेखी की है। मुरदोली में आवास जर्जर, शहर से संभाला जा रहा कामकाज बताया गया है कि कर्मचारी गोंदिया से कामकाज संभाल रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के लिए मुरदोली में बनाया गया आवास जर्जर हो गया है। चुलबंध जलाशय की नहरे भी जर्जर हो गया है और उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है ऐसे में किसानों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है। चुलबंध जलाशय 31 गाव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करता है। इसके लिए इमारत बनाई गई, इस स्थान पर कर्मचारी

भी रहने आए। लोकिन पिछले 50 वर्षों में सिंचाई विभाग ने इन कर्मचारियों के आवासों के रख-रखाव और मरम्मत की अनदेखी की है। मुरदोली में आवास जर्जर, शहर से संभाला जा रहा कामकाज बताया गया है कि कर्मचारी गोंदिया से कामकाज संभाल रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों के लिए मुरदोली में बनाया गया आवास जर्जर हो गया है। चुलबंध जलाशय की नहरे भी जर्जर हो गया है और उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है ऐसे में किसानों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ रहा है। चुलबंध जलाशय 31 गाव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करता है।

धान उत्पादक किसानों को नहीं मिला बोनस उप जिलाधीश से की गई शिकायत

गोंदिया-शीतसव में धान उत्पादक किसानों को राज्य सरकार ने बोनस देने की घोषणा की थी, किंतु आज तक किसानों को बोनस नहीं मिला। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते आनेवाले 8-10 दिनों में आचार संहित लागू होने की संभावना है। धान उत्पादकों को 31 मार्च

तक फसल कर्ज भरना है। ऐसी स्थिति में शासन से बोनस जारी करने की मांग विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष ललित बालबुद्धे ने उपजिलाधीश विजय बनकर को दिए गए ज्ञापन में की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व विवर्ध में धान उत्पादक किसान उपेक्षित अन्वेषाता है। प्राकृतिक संकटों का सामना किसानों को करना पड़ता है।



और आसमानी व दूसरी ओर वेमैसम बारिश का संकट किसानों पर मंडराते रहता है नागपुर में हुए शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने बोनस देने की घोषणा की थी, किंतु बोनस की राशि किसानों के खातों में जमा नहीं हुई। बोनस के भरोसे पर सेवा सहकारी संस्था फसल कर्ज वसूली संतोषजनक हो सकती है। किसानों पर अधिक कर्ज के चलते अनेक संस्था की व्यवस्था चरमरा जाती है।

बुलंद गोंदिया

विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

गोंदिया-पूर्व केंद्रिय मंत्री व संसद प्रफुल पटेल के सांसद विकास निधि से गौशाला के विकास व सुविधाओं के लिए कर्ण गौर कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड्डताल की गई है। इस संबंध में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की ओर से शासन को निवेदन दिया गया है। इस हड्डताल में शामिल होकर शासन को निवेदन प्रेषित करने वालों में देवरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति प्रमोद संगीडवार, उपसभापति विजय कश्यप, संचालक अनिल बिसेन, सुकचंद राऊत, बबलु डोये, समिति के सचिव लोकेश सोनुने, कर्मचारीगण मनीष अकुलवार, वैशाली सारखे, शीला शिवार, राकेश सहारे, विकास देशमुख आदि मौजूद थे।



अवसर पर पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल, शुभांगी मेंडे, श्रीकृष्ण गौरक्षण सभा अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, अजय अग्रवाल, बालकिसन शास्त्री, शंकरलाल अग्रवाल, आकेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, शीतल मुरारका, नानू मुदलियार, रौनक ठाकुर, शरभ मिश्रा सहित पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे।

मूकबधिर बच्चों को शिक्षित करना सच्ची मानव सेवा वार्षिक स्मैलेन में अग्रवाल का प्रतिपादन



बुलंद गोंदिया-मूकबधिर छात्र-छात्राओं को सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बड़ी चुनौती है और यही सच्ची मानव सेवा है। जिसके लिए इस महान कार्य से जुड़े प्रयेक व्यक्ति प्रशंसा के लिए उपर्युक्त विद्यार्थी ने उद्घाटन का प्रस्तुत गणेश वंदना की नियमित विद्यार्थियों ने स्वागत शद्दों से किया। इसी प्रकार विद्यार्थियों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों को मंत्रमुद्ध कर दिया। विद्यालय की मराठी अध्यापिका सारिका श्रीवास्तव ने छात्रों को कुमुमग्राज के नेतृत्व में लेकर उसका असंस्थान संस्थान की ओर से संचालित मंगलम मूकबधिर निवासी शाला के वार्षिक स्थेह सम्मेलन में व्यक्त किया। शाला का वार्षिक स्थेह सम्मेलन संस्था सचिव दिलीप जैन ने उद्घाटन बहुउद्देशीय विकास के लिए एक अध्यक्ष प्रस्तुत किया। सम्मेलन में भूमिका निवासी आरोपी

जमीन विवाद में भिड़े दो गुट, हत्या की कोशिश घटना में 11 पर मामला दर्ज

गोंदिया-जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई मारपीट में 6 लोगों की हत्या की गई। दवानीवाड़ा पुलिस ने दोनों गुटों के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना के संबंध में भूमेंद्र सोमजी सादेपाच द्वारा की गई शिकायत के अनुसार किंडीगार निवासी आरोपी

मदनलाल जयपाल सादेपाच, उत्तम सादेपाच, संतोष सादेपाच, अरविंद सादेपाच सदन सादेपाच र 1 मप्लाल सादेपाच विवादित स्थल पर नाली बना रहे थे। तभी भूमेंद्र के

चबैरे भाई ने उन्हें रोका, जब उन्होंने उनसे कहा कि जमीन पर पानी मत डालो, जमीन का फैसला नहीं हुआ है, तो आरोपीयों में सोमजी धौंड सादेपाच, पतिराम सादेपाच और फुलकंदवाई सादेपाच पर कुलाहड़ी और लाठी से हमला कर दिया। इसके जबाब में आरोपी सोमजी सादेपाच, पतिराम सादेपाच, धौंड सादेपाच, संजय सादेपाच ने उत्तम मदनलाल सादेपाच, अरविंद मदनलाल सादेपाच और कवराई सादेपाच पर कुलाहड़ी और लाठी से हमला कर हत्या का प्रयास किया। इस संबंध में दोनों गुटों के आरोपीयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच पुलिस उपनिरीक्षक स्वर्णदीप भालाधरे कर रहे हैं।

मनरेगा निर्माण कार्यों पर अनदेखी ग्रामवासियों ने की जांच की मांग

</div

